चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

E.mail : ar.affiliation@ccsuniversity.ac.in NAAC A++ Website : www.ccsuniversity.ac.in

पत्रांकः—सम्बद्धता /2575/ 2026—27 दिनांक : 16.09.2026

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / सचिव
समस्त सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

विषयः— राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की मांग विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उप सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग—4, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ के पत्र संलग्न संख्या—700 / सत्तर—4 / 02026 / 70—4005 / 4 / 2026 दिनांक 03 सितम्बर, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जो कि राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में कतिपय याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अवकाश नकदीकरण का लाभ स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये गए है, आदेशों के विरूद्ध विशेष अपील, अनुज्ञा याचिकाएं मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

उक्त के सम्बन्ध में आपसे अपेक्षा है कि आप शासन द्वारा दिये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में तत्काल सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि शासन के आदेशों का पालन किया जा सकें।

संलग्नकः—उपरोक्तनुसार।

भवदीय

17/9

कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
02. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।

कुलसचिव

GS/07 09/9/26 AS70 10/9/26

कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

संख्या-700/सत्तर-4/2026/70-4005/4/2026

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

Done

A.R. (Affiliation)

कुलसचिव

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,

मेरठ।

सेवा में,

1- **निदेशक/वित्त नियंत्रक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- **कुलसचिव/वित्त अधिकारी,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 03 सितम्बर, 2026

विषयः- राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की मांग विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों एवं एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अनेक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा राज्य कर्मचारियों की भांति अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनेक रिट याचिकाएं योजित की गई हैं। कतिपय याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अवकाश नकदीकरण का लाभ स्वीकृत किये जाने के आदेश दिए गए हैं। उक्त आदेशों के विरुद्ध विशेष अपील, विशेष अनुज्ञा याचिकाएं मा0 न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं।

2- विषयगत प्रकरण में निम्नांकित बिन्दुओं पर आख्या/सूचना तत्काल उपलब्ध शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है:-

(1) मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन ऐसे समस्त वादों का विवरण।

(2) मा0 न्यायालयों में विचाराधीन वादों से आच्छादित समस्त याचीगण का विवरण यथा- नाम, पदनाम, वर्तमान तैनाती का स्थान तथा सेवानिवृत्ति की तिथि आदि के साथ उन्हें अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार पर आंकलित अद्यतन व्ययभार।

(3) समस्त राज्य विश्वविद्यालयों/सम्बद्ध सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे कुल कार्मिकों की संख्या, जिसमें उक्त बिन्दु (1) की सूचना भी सम्मिलित है, को

अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार पर आंकलित अद्यतन व्ययभार।

3- उपर्युक्त बिंदु (1) एवं (2) पर निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की सूचना के साथ ही समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की संकलित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार समस्त राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से संबंधित सूचना शासन को पृथक-पृथक उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति निदेशक, उच्च शिक्षा को भी प्रेषित की जाएगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार वांछित सूचना तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
RAM JANAM CHAUHAN
Date: 03-09-2026 17:55:54

(राम जन्म चौहान)
उप सचिव।